कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या–1578/XXV– 12(P-11)/2021 देहरादून : दिनांक 22 सितम्बर, 2021

सेवा में,

श्री ए0पी0 रणकुण्डी
557, न्यू आवास विकास,
बलवान डेयरी के पीछे,
सहारनपुर–247001

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक–जो इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2021 को प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

बिन्दु सख्या–	सूचना का विवरण
बिन्दु–1	सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
बिन्दु–2	वांछित सूचना के सम्बन्ध मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (भाग–2) संसद के अधिनियम के पृष्ठ संख्या 43 से 45 (कुल 03 पृष्ठ) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
बिन्दु–3	सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
बिन्दु–4	सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
बिन्दु–5	सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001

भवदीय,

B. S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली---हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं --- (1) यदि कोई व्यक्ति---

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

[5][**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**---इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो---

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ---[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

---

[1] 1988 के अधिनियम सं0 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित।

[2] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।

[3] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1958 के अधिनियम सं0 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।

[5] 1988 के अधिनियम सं0 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1988 के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1966 के अधिनियम सं0 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान-मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।]

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में, कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है ।

[1][(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस **तारीख को** मामूली तौर से निवासी होता ।]

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित[2] कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू हैं [3]*** उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को [4]*** उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण [5]*** न किए होता तो वह, उस तारीख को [6]*** मामूली तौर से निवासी होता ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि [7][यदि मेरी सेवा अर्हता] न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण [8]*** न किए होता । जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को [9]*** मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह [7][स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है] ।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति [10]*** की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से [11]*** निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

[12][(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा ।]

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पदों को अधिसूचना सं0का0 आ0 959, तारीख 18 अप्रैल, 1960 द्वारा घोषित किया गया :—
(1) भारत का राष्ट्रपति ।
(2) भारत का उपराष्ट्रपति ।
(3) राज्यों के राज्यपाल ।
(4) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री ।
(5) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य ।
(6) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री ।
(7) संघ या किसी राज्य के उप मंत्री ।
(8) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष ।
(9) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति ।
(10) संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल ।
(11) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष ।
(12) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उप सभापति ।
(13) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव ।

[3] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) " या नियोजन" शब्दों का लोप किया गया।

[6] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[7] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[9] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[10] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

[11] 1966 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

[12] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित उपधारा (7) का 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया था।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता से"—

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है,

अभिप्रेत है ।

[1][20क. भारत से बाहर निवास कर रहे भारत के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक,—

(क) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है ;

(ख) जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ; और

(ग) जो भारत में अपने मामूली निवास-स्थान से, अपने नियोजन, शिक्षा या अन्यथा भारत से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहा है (चाहे अस्थायी रूप से है या नहीं),

ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार होगा ।

(2) वह समय, जिसके भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उपधारा (1) के अधीन निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अन्यथा पात्र है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले किसी निर्वाचन में मतदान करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।]

[2][21. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण—(1) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से और विहित रीति में तैयार की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने अंतिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगी ।

[3][(2) उक्त निर्वाचक नामावली का—

(क) विहित रीति में पुनरीक्षण तब के सिवाय जब कि उन कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले, तथा

(ii) निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उपनिर्वाचन से पहले,

अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा; तथा

(ख) विहित रीति में किसी वर्ष में पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है :

परन्तु यदि निर्वाचक नामावली का यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण न किया गया हो तो उससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधिमान्यता या निरन्तर प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निदेश, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी भी समय दे सकेगा :

परन्तु उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपने उस रूप में, जिसमें वह किसी ऐसे निदेश के निकाले जाने के समय प्रवृत्त है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक ऐसे निर्दिष्ट किया गया विशेष पुनरीक्षण समाप्त न हो जाए ।

[4][22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की शुद्धि—यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, हो जाता है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि—

(क) किसी विशिष्ट में गलत है या त्रुटिपूर्ण है,

---

[1] 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 2 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 15 द्वारा धारा 21 से धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 9 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 9 द्वारा धारा 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

22/9/21

सेवा में,

मुख्य चुनाव अधिकारी
ध्यानाकर्षण जन सम्पर्क अधिकारी,
उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग भवन,
देहरादून-२४८००१ (उत्तराखण्ड)

महोदय,

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया बिन्दुवार निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें -

१. यदि कोई व्यक्ति २०-२५ साल से दिल्ली या अन्य राज्य में रह रहा हो तथा वो अपने वोट का प्रयोग इतने सालों से वहीं पर कर रहा है तो क्या वह व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अपने रिश्तेदार को जिताने के उद्देश्य से अपना वोट वहां बनवाकर वोट का प्रयोग अपने गृह नगर में कर सकता है। यदि नहीं कर सकता तो क्या यह कार्य दण्डनीय है।
२. क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर अपना वोट बनवाकर अपने वोट का प्रयोग कर सकता है।
३. यदि कोई व्यक्ति ४०-५० वोट के मार्जन से जीता हो तथा ये वोट जीताने के उद्देश्य से दिल्ली में २०-२५ सालों से रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाकर डाले गये हों तो क्या जीते हुए व्यक्ति को विजयी घोषित किया जा सकता है। गलत तरीके से बनाये गये वोट मान्य हो सकते हैं।
४. क्या जिन व्यक्तियों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग दिल्ली के अलावा अन्यत्र भी किया गया है उन व्यक्तियों को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
५. उपरोक्त चारों बिन्दुओं को सही पाये जाने पर इन व्यक्तियों के खिलाफ तथा जीते हुए उम्मीदवार को चुनाव नियमावली के किस नियम के अन्तगर्त दण्डनीय घोषित किया जा सकता है।

भवदीय

(ए.पी. रणकुण्डी)
५५७, न्यू आवास विकास,
बलवान डेयरी के पीछे,
सहारनपुर - २४७००१

संलग्न :-

पोस्टल आर्डर - संख्या ५१ एफ ७५३४५१

प्रतिलिपि प्रेषित :- श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त, पाँचवा तल, चौथा ब्लॉक, पुराना जे.एन.यू. कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली - ११००१६

भवदीय

(ए.पी. रणकुण्डी)
५५७, न्यू आवास विकास,
बलवान डेयरी के पीछे,
सहारनपुर - २४७००१